

अपर निदेशक, सूडा की अध्यक्षता में दिनांक 22.10.2021 को सायं 04.00 बजे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी घटक के अन्तर्गत करटेलेमेन्ट, पी0एम0 स्वनिधि एवं एन0यू0एल0एम0 की प्रगति के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के परियोजना अधिकारी एवं सी0एल0टी0सी0 के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

1. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
2. ओ0के0 सिंह, एस0एम0एम0, एन0यू0एल0एम0, सूडा।
3. मौ0 तैय्यब, एस0एम0एम0, एन0यू0एल0एम0, सूडा।
4. सिमी औमेर, एस0एम0एम0, एन0यू0एल0एम0, सूडा।
5. विनोद कुमार कनौजिया, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
6. मनीष श्रीवास्तव, हाऊसिंग फाईनेन्स पॉलिसी स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
7. विनय सिंह, म्यूनिसिपल इंजीनियर, एस0एल0टी0सी, सूडा।
8. असजद अलवी, अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी0, सूडा।
9. कुनाल कटारिया, अरबन प्लानर, एस0एल0टी0सी0, सूडा।
10. संतोष विश्वकर्मा, एमआईएस स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।
11. रविश सिंह, जी0आई0एस0 स्पेशलिस्ट, एस0एल0टी0सी, सूडा।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

सर्वप्रथम सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त की अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए निम्न निर्देश दिये गये:-

1. स्वयं सहायता समूहों का गठन तेजी से कराते हुए लक्ष्यों को विगत में दिये गये निर्देशानुसार पूर्ण किया जाये।
2. स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त हेतु पूर्व में निर्देश दिये गये थे कि स्वयं सहायता समूहों का सम्पूर्ण डाटा एम0आई0एस0 पर अपडेट करके सूचना उपलब्ध करायी जाये, जिसके क्रम में जनपद से प्राप्त सूचना एवं एम0आई0एस0 का मिलान नहीं हो पाने से गहरी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संकलित आख्या हेतु ससमय प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
3. वर्ष 2018-19, 19-20 एवं 20-21 में गठित समूहों में रिवाल्विंग फण्ड हेतु अवशेष अर्ह समूहों का अपडेशन प्रत्येक दशा में माह के अन्त तक पूर्ण कर एम0आई0एस0 पोर्टल एवं पैसा पोर्टल पर परिवर्तित कराया जाये। संज्ञान में यह भी लाया गया कि कतिपय समूहों की ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही है, जिससे समूह रिवाल्विंग फण्ड हेतु अर्ह नहीं हो पा रहे हैं, यह स्थिति अत्यन्त चिंताजनक है। इस पर विशेष ध्यान देते हुए पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त सभी अर्ह समूहों को रोजगार मेले की अवधि में रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त कराना सुनिश्चित कराया जाये।
4. फूड प्रोसेसिंग में लगभग 01 वर्ष पूर्व से कार्य कर रहे 288 समूहों को एफएसएसआई में पंजीकृत कराने एवं पोर्टल पर स्वयं सहायता समूह के विवरण सहित प्रविष्टि कराने के निर्देश दिये गये, जिससे उनका सत्यापन मुख्यालय स्तर से करके एस0एन0ए0 को प्रेषित किया जा सके।

क्रमशः.....2 पर

5. स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत ऋण, समूह ऋण एवं एस0एच0जी0 बैंक लिंकेज की प्रगति अपेक्षित न होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये कि माह अक्टूबर के अन्त में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही कराते हुए अधिक से अधिक लाभार्थियों को बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए ऋण वितरण की कार्यवाही करायी जाये, जिससे लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं ऋण वितरित किये गये आवेदनों का पूर्ण विवरण एम0आई0एस0 पर अद्यावधिक करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
6. दिनांक 28.10.2021 से 3/4.11.2021 तक आयोजित होने वाले दीपावली मेले में शहरी पथ विक्रेताओं को चिन्हित कर आवंटित स्टालों पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री के लिए उन्हें चिन्हित कर आवंटित स्टालों पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। नगर निगम वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर एवं अयोध्या में उच्च स्तरीय आयोजित होने वाले दीपावली मेले का उद्घाटन विशिष्ट महानुभावों द्वारा किया जायेगा। अतः उन परियोजना अधिकारियों को विशेष रूप से समुचित व्यवस्था हेतु निर्देश दिये गये।
7. रोजगार मेले में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को सेवायोजन कराने हेतु प्लेसमेन्ट एजेन्सियों को आमंत्रित कर अधिक से अधिक संख्या में सेवायोजित कराया जाये। नगर निगम वाराणसी, लखनऊ, आगरा तथा अन्य नगर निगमों में तैनात परियोजना अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को सेवायोजित कराया जायेगा।

पी0एम0 स्वनिधि:-

पी0एम0 स्वनिधि योजनान्तर्गत प्रगति के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये:-

1. अधिकांश जनपदों में लक्ष्य के सापेक्ष वेण्डर परिवार के सदस्यों की प्रोफाइलिंग की स्थिति संतोषजनक नहीं है, जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाये। अन्य 08 योजनाओं में लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु जितने भी आवेदन एप्लाइड हुए हैं, उनको शत-प्रतिशत स्वीकृत कराया जाये।
2. रिटर्न बाय बैंक लम्बित कुल 81155 आवेदन पत्रों में सबसे ज्यादा लम्बित आवेदन पत्रों वाले 05 जनपद यथा-अयोध्या-3250, फिरोजाबाद-3015, मथुरा-2774, मुरादाबाद-2702 एवं गोरखपुर-2030 को निर्देशित किया गया कि माह के अन्त तक रिटर्न बाय बैंक लम्बित आवेदनों को निस्तारित किया जाये।
3. 36 जनपदों के 43 नगर निकायों में डिजिटल ऑनबोर्डिंग एवं ट्रेनिंग की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी, जिस पर परियोजना अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा चयनित किये गये डी0पी0ए0 के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर डिजिटल ऑनबोर्डिंग एवं प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिये गये।
4. प्रदेश में कुल 40591 एल0ओ0आर0 निस्तारण हेतु लम्बित हैं, जिनको माह के अन्त तक निस्तारित करने के निर्देश दिये गये। सबसे ज्यादा लम्बित आवेदन पत्रों वाले 05 शहर यथा-गोरखपुर-2717, वाराणसी-2333, फिरोजाबाद-2041, झांसी-1411 एवं कानपुर-1345 के साथ-साथ उन सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि अपने यहां लम्बित समस्त एल0ओ0आर0 का निस्तारण माह के अन्त तक करना सुनिश्चित किया जाये।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):-

150 Days Challenge के अन्तर्गत चयनित नगर निकायों में स्वीकृत परियोजनाओं के करटेलमेन्ट की समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् है:-

1. **जनपद अम्बेडकर नगर:-**परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 23.10.2021 को मा0 मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, जिस कारण करटेलमेन्ट में विलम्ब हो रहा है, जिस पर मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद करटेलमेन्ट प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
2. **जनपद अमेठी:-**150 Days Challenge के अन्तर्गत 01 नगर निकाय ही चयनित की गयी है, वह भी अभी तक चस्पा नहीं की गयी है। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 21.10.2021 को सूची चस्पा कर दी गयी है तथा 01 परियोजना का करटेलमेन्ट अगले सप्ताह प्रेषित कर दिया जायेगा। करटेलमेन्ट हेतु सूची विलम्ब से चस्पा किये जाने के कारण परियोजना अधिकारी एवं सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर को नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये।
3. **जनपद औरैया:-**परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 09 परियोजनाओं का करटेलमेन्ट लम्बित है, जिसमें से नगर निकाय अटासू में स्वीकृत परियोजना का करटेलमेन्ट 1-2 दिन में भेज देंगे, जिस पर अवशेष करटेलमेन्ट भी शीघ्र ही प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
4. **जनपद आजमगढ़:-**परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 23 करटेलमेन्ट लम्बित है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा दिनांक 25.10.2021 तक जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित कर सूडा में प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
5. **जनपद बागपत:-**परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना निदेशक द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं, 1-2 दिन में जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर प्रेषित कर दिया जायेगा।
6. **जनपद बरेली:-**परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 03 परियोजनाएं लम्बित हैं तथा सभी पत्रावली नगर आयुक्त के पास हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत कर दी गयी है। निर्देश दिये गये कि 2-3 दिन में जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर प्रेषित कर दें।
7. **जनपद भदोही:-**परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 01 करटेलमेन्ट भेज दिया गया है। 04 परियोजनाओं हेतु दिनांक 23.10.2021 को अधिशासी अधिकारी से पत्र प्राप्त हो जायेगा, जिसके उपरान्त दिनांक 25.10.2021 तक करटेलमेन्ट सूडा को प्रेषित कर दिया जायेगा।
8. **जनपद उन्नाव:-**परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट संस्था को भेज दिये गये हैं, जिसमें से 03 प्राप्त हो गये तथा शेष अभी अप्राप्त हैं, जिस पर 03 करटेलमेन्ट 3-4 दिन में प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
9. **जनपद बिजनौर:-**परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की 04 डीपीआर लम्बित है, जिसमें से 01 अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दी गयी है, जिस पर 03 डीपीआर 2-3 दिन में प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
10. **जनपद बदायूं:-**परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की 04 डीपीआर लम्बित है, जिस पर 02 डीपीआर दिनांक 25.10.2021 तक भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

11. जनपद चन्दौली:—परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की 03 डीपीआर लम्बित है, जिसमें से 01 डीपीआर कन्सलटेन्ट द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा 02 प्राप्त हो चुकी है, जिस पर 02 डीपीआर दिनांक 25.10.2021 तक भेजने हेतु निर्देशित किया गया।
12. जनपद चित्रकूट:—परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की 04 डीपीआर न0पा0परि0 स्तर पर लम्बित है। अधिशासी अधिकारी द्वारा जांच कर ली गयी है, परन्तु बीमार होने के कारण अवकाश पर हैं। निर्देशित किया गया कि सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर को नोटिस दें तथा सहायक परियोजना अधिकारी एवं सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर स्वयं जाकर डीपीआर पर अधिशासी अधिकारी से हस्ताक्षर करायें।
13. जनपद देवरिया:—परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की डीपीआर पर अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। परियोजना निदेशक एवं जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर 2-3 दिन में करटेलमेन्ट की डीपीआर प्रेषित कर दी जायेगी।
14. जनपद फतेहपुर:—परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की 02 डीपीआर लम्बित हैं, जिसकी जांच की जा रही है। 1-2 दिन में जांच पूरी कर दी जायेगी, जिस पर दिनांक 26.10.2021 तक डीपीआर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
15. जनपद फिरोजाबाद:—परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 04 करटेलमेन्ट की डीपीआर लम्बित हैं, जिसमें 02 डीपीआर 02 दिन में प्रेषित कर दी जायेगी तथा शेष 02 डीपीआर 3-4 दिन में प्रेषित कर दी जायेगी, जिस पर 02 डीपीआर दिनांक 25.10.2021 तक तथा अवशेष 02 डीपीआर दिनांक 27.10.2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
16. जनपद कानपुर देहात:—अवगत कराया गया कि सूची अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर दी गयी है तथा संस्था द्वारा करटेलमेन्ट की डीपीआर 02 दिवस में उपलब्ध करा दी जायेगी, जिस पर दिनांक 26.10.2021 तक डी0पी0आर0 उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
17. जनपद मिर्जापुर:—अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की 04 डीपीआर लम्बित हैं, जिस पर दिनांक 25.10.2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
18. जनपद मुरादाबाद:—अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की 03 डीपीआर लम्बित हैं, जिसमें से 01 अभी तक संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है, 01 पर अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है तथा 01 पर अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर लम्बित हैं, जिस पर अधिशासी अधिकारी से हस्ताक्षरित कराने के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित कराते हुए 02 डीपीआर दिनांक 26.10.2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
19. जनपद मुजफ्फरनगर:—अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की 06 डीपीआर लम्बित हैं, जो कि परियोजना निदेशक से हस्ताक्षरित हैं, जिस पर दिनांक 25.10.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
20. जनपद प्रयागराज:—अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की 03 डीपीआर लम्बित हैं, जो कि जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित हैं, जिस पर डीपीआर की मूल प्रति प्रत्येक दशा में दिनांक 25.10.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

21. जनपद रामपुर:-अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की 08 डीपीआर लम्बित हैं, जो कि अधिशासी अधिकारी स्तर पर हस्ताक्षर हेतु लम्बित हैं। निर्देशित किया गया कि दिनांक 26.10.2021 तक जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित कराते हुए सूडा को उपलब्ध करा दी जाये।
22. जनपद सहारनपुर:-अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की 02 डीपीआर लम्बित हैं, जो कि जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित हैं, जिस पर डीपीआर की मूल प्रति प्रत्येक दशा में दिनांक 25.10.2021 तक प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
23. जनपद शाहजहांपुर:-अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की 03 डीपीआर लम्बित हैं, जो कि परियोजना निदेशक से हस्ताक्षरित हैं, जिस पर निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 25.10.2021 तक डीपीआर सूडा को उपलब्ध करा दी जाये।
24. जनपद शामली:-अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की 01 डीपीआर लम्बित हैं, जो कि जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं, जिस पर डीपीआर की मूल प्रति दिनांक 25.10.2021 तक सूडा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
25. जनपद श्रावस्ती:-अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की 07 डीपीआर लम्बित हैं, जो कि अधिशासी अधिकारी से हस्ताक्षरित हैं, जिस पर सभी डीपीआर परियोजना निदेशक एवं जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराते हुए दिनांक 26.10.2021 तक सूडा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
26. जनपद लखीमपुर खीरी:-अवगत कराया गया कि करटेलमेन्ट की 01 डीपीआर जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित हैं, जिस पर हस्ताक्षर कराते हुए दिनांक 26.10.2021 तक सूडा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त निम्न निर्देश दिये गये:-

1. समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों एवं सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर्स को टी0पी0क्यू0एम0 एजेन्सी द्वारा की गयी विजिट में पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए प्रत्येक दशा में दिनांक 26.10.2021 तक अनुपालन आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
2. पी0पी0ए0 भेजते समय नोटशीट अनुमोदन की प्रति एवं प्रमाण पत्र भी साथ भेजें।
3. जिन जनपदों में अभी भी जीरो लेवल जिओ टैग लम्बित हैं, उन जनपदों के परियोजना अधिकारी को 2-3 दिवस में जिओ टैग कराते हुए प्रथम किश्त का पी0पी0ए0 प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
4. यदि 51वीं सीएसएमसी के बाद की डीपीआर में अपात्र हो तो उसी लिंग एवं जाति के लाभार्थी की जांच कराकर जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र प्रेषित किया जाये। मॉडिफिकेशन के लिए लाभार्थीवार पत्रावली तैयार कराकर रखने के निर्देश दिये गये।
5. प्रशासनिक व्यय में पूर्व में अवमुक्त धनराशि की लम्बित यू0सी0 तत्काल प्रेषित कर दें, जिससे प्रशासनिक व्यय में और धनराशि अवमुक्त की जा सके।


6/10/21
(आलोक सिंह)

अपर निदेशक

संख्या:-2662/01/तीस/कार्यक्रम-Vol-VII/2021-22 दिनांक:-29 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, सूडा, लखनऊ।
2. सहायक निदेशक, सूडा, लखनऊ।
3. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
4. परियोजना अधिकारी, एन0यू0एल0एम0, सूडा, लखनऊ।
5. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा, उ0प्र0।
6. समस्त एस0एल0टी0सी0, पी0एम0ए0वाई0(यू), सूडा।
7. समस्त एस0एम0एम0, एन0यू0एल0एम0, सूडा।
8. समस्त सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर, डूडा, उ0प्र0।
9. गार्ड फाईल।


(आलोक सिंह)
अपर निदेशक